न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ

पीठासीन अधिकारी महावीरसिंह जोधा आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या	दायर दिनाक	निर्णय दिनाक
21 / 2019	31.05.2019	03/9/19

1. मनोहरसिंह पुत्र अमानसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी सिमरथपुरा (साई) तहसील शेरगढ जिला जोधपुर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम

अधिवक्ता प्रार्थी श्री विजयनाथ उपस्थित ।
राज पेरोकार तहसीलदार शेरगढ उपस्थित।

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है की ग्राम सिमरथपुरा पटवार हल्का साई जिला जोधपुर खेत खसरा नम्बर 1064 रकबा 0.05 बीघा किस्म गेर मुमकीन , खसरा नम्बर 1065 रकबा 65.04 बीघा भूमि आई हुई है । उक्त भूमि की खातेदारी वर्तमान मे मुझ प्रार्थी के पिता व अन्य सह खातेदारों के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है । उक्त खसरान की भूमि के खातेदार मुझ प्रार्थी के पिता मोहनराम पुत्र धोकलाराम का स्वर्गवास दिनांक 10.04. 2019 को हो चुका है मेरे पिता के स्वर्गवास के बाद से उक्त खसरान की भूमि पर मुझ प्रार्थी एवं अन्य वारिसान का अन्य सह खातेदारों का सयुक्त रूप से कब्जा काश्त हे ।

उक्त वर्णित अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में मोहनराम पुत्र धोकलाराम दर्ज है जबकी मुझे प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम अमानसिह पुत्र धोकलसिह है जबकी मेरे पिता के नाम जो दस्तावेज पहचान कार्ड , परिवार का राशन कार्ड , मतदाता परिचय पत्र इत्यादी में मेरे पिता का नाम अमानसिह पुत्र धोकलसिह अंकित है यहॉ तक मेरे पिता के नाम से जो मृत्यु प्रमाण पत्र फौतेदगी के बाद जारी किया गया है उसमे भी अमानसिह पुत्र धोकलसिह के नाम से जारी किया गया है इसलिए उक्त भूमि के समस्त रेकर्ड में मुझ प्रार्थी के पिता का नाम वास्तवित नाम मोहनराम पुत्र धोकलाराम के स्थान पर अमानसिह पुत्र धोकलसिह अंकित किया जाना उचित व न्यायसंगत है ।

सहायक कलक्टर शेरगढ
जिला जोधपुर

Scanned by CamScanner

प्रार्थी को राजस्व रेकर्ड मे रही उक्त त्रुटी की पूर्व मे जानकारी नही थी हाल ही मे दिनांक 10 .4.2019 को मेरे पिता के स्वर्गवास होने के बाद दिनांक 11.5.2019 को मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के बाद तथा वारिसान के नाम से फोतेदगी म्युटेशन भरवाने के लिए दिनांक 28.5.2019 को हल्का पटवारी से जमाबंदी की नकल निकलवाने पर प्रार्थी को राजस्व रेकर्ड मे हुई ।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा ग्राम सिमरथपुरा पटवार हल्का साई जिला जोधपुर खेत खसरा नम्बर 1064 रकबा 0.05 बीघा किस्म गेर मुमकीन , खसरा नम्बर 1065 रकबा 65.04 बीघा मे प्रार्थी के पिता का नाम वास्तविक नाम मोहनराम पुत्र धोकलाराम के स्थान पर अमानसिह पुत्र धोकलसिह अंकित करने का आदेश फरमावे ।

प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को सम्मन जारी किया गया । राज पेरोकार तहसीलदार शेरगढ ने जवाब पेश किया । जिसे शामिल पत्रावली किया गया ।

प्रकरण में उभयपक्षकारान बहस सुनी गई । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया ।

प्रस्तुत दस्तावेज एवं राज पेरोकार तहसीलदार शेरगढ द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाता है । ग्राम सिमरथपुरा पटवार हल्का साई जिला जोधपुर खेत खसरा नम्बर 1064 रकबा 0.05 बीघा किस्म गेर मुमकीन , खसरा नम्बर 1065 रकबा 65.04 बीघा में प्रार्थी के पिता का नाम वास्तविक नाम मोहनराम पुत्र धोकलाराम के स्थान पर अमानसिह पुत्र धोकलसिह किये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया । पत्रावली शुमार फैसल होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
शेरगढ (जोधपुर)
सहायक कलेक्टर शेरगढ़
जिला जोधपुर

Scanned by CamScanner